समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: क्रयादेश :-

दिनांक 21-04-2015 को रात्रि में आए चक्रवातीय आँधी-तूफान, आकस्मिक वर्षा /ओलावृष्टि एवं दिनांक 25, 26 एवं 27 अप्रैल, 2015 को भूकम्प से अधिकांश झोपड़ी के ध्वस्त हो जाने के कारण तत्काल शेल्टर हेतु प्रभावित परिवारों को पॉलीथीन शीट्स उपलब्ध कराना है। इस निमित्त DGS&D में निबंधित फर्म, East Hooghly Polyplast pvt.Ltd. West Bengal जो 10 सितम्बर, 2014 से 31 अगस्त, 2015 तक के लिए पॉलीथीन आपूर्ति हेतु पंजीकृत है, से 250 माइक्रोमीटर के 4मीटर लम्बाई तथा 5 मीटर चौड़ाई के आकार (4m x 5m) के पॉलीथीन शीट्स क्रय करने का निर्णय लिया गया। तदालोक में निम्नांकित विशिष्टयों के अनुरूप पॉलीथीन शीट्स की आपूर्ति करने का आदेश East Hooghly Polyplast pvt.Ltd. West Bengal को दिया जाता है :-

क्र0	आपूर्तिकर्त्ता फर्म का नाम	आपूर्ति की जानेवाली सामग्री का नाम	मात्रा /संख्या	आकार	दर (DGS&D के अनुसार)	गुणवता
1	East Hooghly Polyplast pvt.Ltd. Super market, chinsurah station road, po-chinsurah, dist-hooghly, west Bengal-712102	पॉलीथीन शीट्स	5,000/- (पाँच हजार पीस)	250 माइक्रोमीटर के (4मीटरx 05मीटर)	155.55/- (एक सौ पचपन रूपया पचपन पैसा) प्रति कि0ग्रा0 (Excise duty & VAT सहित)	LDPE BLACK पॉलीथीन शीट्स 04 मीटर x 05 मीटर आकार का, 250 माइक्रोमीटर मोटाई का, वजन / ISI 2508/1984 के अनुसार

2. आपूर्तिकर्त्ता को आदेश दिया जाता है कि पॉलीथीन शीट्स की आपूर्ति DGS&D द्वारा निर्धारित दर मापदण्ड एवं गुणवता के अनुरूप करनी होगी।
3. आपूरित पॉलीथीन शीट्स DGS&D द्वारा निर्धारित ISI 2508/1984 के गुणवत्ता के अनुसार निरीक्षित एवं प्रमाणित होना चाहिए तथा तत्संबंधी सत्यापन का प्रमाण पत्र आपूर्तिकर्त्ता फर्म को उपलब्ध करानी होगी। इसके बिना आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. आपूर्तिकर्त्ता को आदेशित सामग्री निर्गत आदेश पत्र की प्राप्ति तिथि से 07 (सात) दिनों के अन्दर जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को आपूर्ति करनी होगी।

क्रयादेश का अनुपालन नहीं करने अथवा विफल होने की स्थिति में आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति आदेश रद्द किया जा सकता है। आपूर्ति हेतु कोई परिवहन शुल्क एवं अग्रिम राशि अलग से देय नहीं होगी।

5. आपूरित सामग्री की गुणवता एवं मात्रा DGS&D एवं वजन ISI 2508/1984 के अनुसार होने तथा संतुष्ट होने के पश्चात् आवश्यक करों की कटौती के उपरान्त लेखा प्रदायी चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।
6. आपूर्तिकर्त्ता फर्म के द्वारा कर चुकता प्रमाण पत्र (Tax Clearance Certificate) प्रस्तुत करने पर कर की कटौती नहीं की जायेगी, अन्यथा सभी करों की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
7. आपूर्ति आदेश प्रापत करते समय उपरोक्त सभी आदेशित शर्त्तों को स्वीकार होने संबंधी शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

ह0/–
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 140/आ0प्र0, मधेपुरा दिनांक 28.04.15

प्रतिलिपि :– M/S East Hooghly Polyplast pvt.Ltd. Super market, chinsurah station road, po-chinsurah, dist-hooghly, west Bengal-712102 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– ADG (Q.A) O/O DGS&D 4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा आपूरित किये जाने वाली पॉलीथीन शीट्स को स्थानीय धर्मकांटा में तौल कराने के पश्चात् ही प्राप्त कर श्री चितरंजन, सहायक, उ0व0लिपिक, मधेपुरा को उपलब्ध करायेंगे, जो आपदा प्रबंधन के वेयर हाउस में भंडारित करते हुए भंडार पंजी में संधारित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

28/04/15
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।